

Ref :: SD:140/141/11/12::2023-24

Date: 01.06.2023

The Vice President BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street MUMBAI - 400 001 Scrip Code: 532483	The Vice President Listing Department National Stock Exchange of India Ltd EXCHANGE PLAZA Bandra-Kurla Complex, Bandra [E] MUMBAI - 400 051 Scrip Code: CANBK
--	---

Dear Sir/Madam,

Sub: 21st Annual General Meeting (AGM) – 28.06.2023

Ref: SD:83/84/11/12::2023-24 dated 08.05.2023

We had, vide the above letter, informed the date of 21st Annual General Meeting (AGM) of the Bank along with the other relevant dates in compliance with the applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015. With regard to the subject, Exchanges are hereby informed as under: -

The Schedule of AGM is set out below: -

1	Date/Time of AGM	Wednesday, 28 th June, 2023 at 10.30 a.m. (1ST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OA VM).
2	Record Date for payment of Dividend	Record date for payment of dividend is Wednesday, 14 th June 2023. The dividend will be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (AGM).
3	E voting Cut-off Date	Wednesday, 21 st June 2023
4	Remote E-voting	From 09.00 a.m. on Sunday, the 25 th June, 2023 to 5.00 p.m. on Tuesday, the 27 th June, 2023 (both days inclusive)

In this connection, we enclose the Notice of the 21st Annual General meeting (AGM) of the Bank for placing on the website of the Exchanges. The same is available on the website of the Bank at www.canarabank.com

We request you to take the same on record.

Yours faithfully,

SANTOSH KUMAR BARIK
COMPANY SECRETARY

सचिवीय विभाग

प्रधान कार्यालय

112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560002

E-Mail - hosecretarial@canarabank.com

Secretarial Department

Head Office

112 J C Road, Bengaluru - 560002

www.canarabank.com

F +91 80 22248831

T +91 80 22100250

Internal



सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की इक्कीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियो विजुअल के माध्यम बुधवार, 28 जून, 2023 को प्रातः 10:30 बजे से आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कार्यों का संचालन करना है:

- 31 मार्च, 2023 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र पर, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा, तुलन-पत्र और लेखा पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा प्रावरित अवधि के लिए बैंक के कार्य एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट चर्चा करना, उसे अनुमोदित व अंगीकृत करना।
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभान्ना घोषित करना।
- सहयोगियों/सहायक कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण पार्टी संबंधी लेनदेन, यदि कोई हो, पर विचार करना और अनुमोदित करना।

विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित पर विचार किया जाना और उचित समझे जाने पर पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (एतद्वशात् "सेबी सूचीबद्धता विनियम" के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) और कानून के ऐसे अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, "और उसके किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या पुनः अधिनियमन (तद्वशात् "लागू कानून" के रूप में संदर्भित) और केनरा बैंक की 'संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति' (तद्वशात् "बैंक" के रूप में संदर्भित), "बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल को अनुमोदन प्रदान करते हैं (तद्वशात् "बोर्ड" के रूप में संदर्भित, जिसे इस संकल्प के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत गठित किसी समिति को शामिल करने के लिए माना जाएगा), सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 2(1) (जेडबी) के अर्थ में बैंक के सहयोगियों / सहायक कंपनियों (संबंधित पार्टियों) को बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार ₹ 1000 करोड़ या बैंक के वार्षिक समेकित कुल कारोबार के 10%, जो भी कम हो, की महत्वपूर्ण सीमा से अधिक राशि के लिए, जैसा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लागू कानूनों के तहत निर्धारित है, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 2(1) (जेडबी) के अर्थ में बैंक के सहयोगियों / सहायक कंपनियों (संबंधित पार्टियों) को ऋण और अग्रिम देने (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन या एक साथ किए गए लेनदेन या

NOTICE

Notice is hereby given that the Twenty-First Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on **Wednesday, the 28th June, 2023 at 10:30 A.M. IST through Video Conferencing/Audio Visual Means**, to transact the following business:

- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2023, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2023, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
- To declare dividend for the financial year 2022-23.
- To consider and approve the Material Related Party Transactions with the Associates / Subsidiaries, if any.

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as "Applicable Laws") and the 'Policy on Related Party Transactions' of Canara Bank (hereinafter referred to as "Bank"), the Shareholders of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "Board", which term shall be deemed to include the Audit Committee of the Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) of granting of Loans and Advances such as Term Loans, Line of Credit, Overdraft etc., to Associates / Subsidiaries (Related Parties) of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1,000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank,

लेनदेन की एक श्रृंखला या अन्यथा) में प्रवेश करने और/या जारी रखने के लिए, जो भी कम हो, नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है जो इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए अपने पूर्ण विवेक में आवश्यक या समीचीन समझे, और इस संबंध में और उसके आनुषंगिक किसी भी प्रश्न का निपटान करने के लिए, शेरधारकों की आगे की सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना, और इस आशय के लिए कि शेरधारकों को इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया गया माना जाएगा।”

आगे संकल्प लिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बोर्ड इसके द्वारा प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (निदेशकों) या कार्यकारी समिति या बैंक के किसी भी अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत है, जैसा कि यह उचित प्रतीत होता है।”

4. बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन की नियुक्ति

विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित पर विचार किया जाना और उचित समझे जाने पर पारित करना:

यह संकल्प लिया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसार बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के तहत श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन की नियुक्ति, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैरा 5 (1) और 9 (2) (बी) के साथ पठित, अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए, अर्थात् 21 मार्च, 2022 से 20 मार्च, 2025 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

5. श्री विजय श्रीरंगन की अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति

whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2023-24, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”

4. Appointment of Shri Dibakar Prasad Harichandan as Part-time Non-Official Director of the bank

To consider and if thought fit, to pass the following as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri. Dibakar Prasad Harichandan as Part-time Non-Official Director of the bank in exercise of powers under clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 by the Central Government, be and is hereby appointed as Part-time Non-Official Director on the Board of the bank, for a term of three years, from the date of notification, i.e., from March 21, 2022 to March 20, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

5. Appointment of Shri. Vijay Srirangan as Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank.



विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित पर विचार किया जाना और उचित समझे जाने पर पारित करना:

“यह संकल्प लिया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसार बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विजय श्रीरंगन की नियुक्ति, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैरा 5 (1) और 9 (2) (बी) के साथ पठित, अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए, अर्थात् 7 नवंबर, 2022 से 6 नवंबर, 2025 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है।

6. बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री अशोक चंद्र की नियुक्ति

विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित पर विचार किया जाना और उचित समझे जाने पर पारित करना:

“यह संकल्प लिया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अशोक चंद्र की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा उनके पदग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए, यानी 21 नवंबर, 2022 से 20 नवंबर, 2025 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

7. बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में श्री के. सत्यनारायण राजु की नियुक्ति

विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित पर विचार किया जाना और उचित समझे जाने पर पारित करना:

“यह संकल्प लिया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक के प्रबंध

To consider and if thought fit, to pass the following as an Special Resolution:

“RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri. Vijay Srirangan as Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank in exercise of powers under clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 by the Central Government, be and is hereby appointed as Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman on the Board of the Bank, for a term of three years, from the date of notification, i.e., from November 7, 2022 to November 6, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

6. Appointment of Shri. Ashok Chandra as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri. Ashok Chandra as Executive Director of the Bank in exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, be and is hereby appointed as Executive Director on the Board of the Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, i.e., from November 21, 2022 to November 20, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

7. Appointment of Shri. K. Satyanarayana Raju as Managing Director & CEO of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri. K. Satyanarayana Raju as Managing Director and Chief Executive Officer

निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) के रूप में श्री के. सत्यनारायण राजु की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा उनके पदग्रहण करने की तारीख से अर्थात् 7 फरवरी, 2023 से प्रभावी और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि तक (अर्थात् 31.12.2025) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

8. बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया की नियुक्ति

विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित पर विचार किया जाना और उचित समझे जाने पर पारित करना:

यह संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया की बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा उनके पदग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए, यानी 7 फरवरी, 2023 से 6 फरवरी, 2026 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

(MD & CEO) of the Bank in exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, be and is hereby appointed as Managing Director and Chief Executive Officer on the Board of the Bank, with effect from the date of assumption of office, i.e., from February 7, 2023 and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e., 31.12.2025), or until further orders, whichever is earlier.

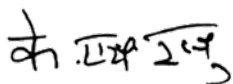
8. Appointment of Shri. Hardeep Singh Ahluwalia as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri. Hardeep Singh Ahluwalia as Executive Director of the Bank in exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, be and is hereby appointed as Executive Director on the Board of the Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, i.e., from February 7, 2023 to February 6, 2026, or until further orders, whichever is earlier.

By Order of the Board of Directors

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा



के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी



K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR & CEO

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2023

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2023

नोट

1. व्याख्यात्मक विवरणी

सूचना की मद संख्या 3 से 8 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण अलग से दिया गया है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम)

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से वर्ष 2023 में कंपनियों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को छूट दी है, जो **30 सितंबर, 2023** को या उससे पहले सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020 के पैरा 3 और पैरा 4 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने के लिए है। "परिपत्रों के अनुरूप, बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने 21वें एजीएम बैठक आयोजित कर रहा है, जिसे "ई-एजीएम" कहा जाता है।"

बैंक ने ई-एजीएम के आयोजन के लिए वार्षिक सामान्य बैठक और प्रतिभागियों को सक्षम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को नियुक्त किया है।

3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ऑडियो विजुअल (एवीएम) के माध्यम से ई-एजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश

- वीसी/एवीएम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों की भागीदारी की अनुमति देगा।
- बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों), प्रायोजकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में ई-एजीएम में एफआईएफओ के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- बैठक के कोरम की संख्या का पता लगाने के लिए ई-एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।
- सदस्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में ई-एजीएम में शामिल हो सकते हैं।
- सदस्य रिमोट इवोर्टिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके शेयरधारक/सदस्य लॉगिन के तहत <https://emeetings>।

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 to 8 of the Notice is given separately.

2. AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING

Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide various circulars issued from time to time has extended relaxations to Annual General Meeting (AGMs) of companies due in the year 2023 to conduct their AGMs on or before **30th September, 2023** in accordance with the requirements laid down in Para 3 and Para 4 of the General Circular No.20/2020 dated 05.05.2020. In line with the Circulars, the Bank is conducting its 21st AGM through Video Conferencing herein after called as "e-AGM".

The Bank has appointed KFin Technologies Limited, Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the e-AGM.

3. INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE e-AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/AUDIO VISUAL MEANS(AVM)

- The VC/AVM would allow participation of at least 1000 members on first-come-first-serve basis.
- No restrictions on account of FIFO entry into e-AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- The attendance of members attending the e-AGM would be counted for the purpose of reckoning the quorum of the meeting.
- The Members can join the e-AGM 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting.
- Members may access the VC at <https://emeetings.kfintech.com/> under Shareholders



kfintech.com/ पर वीसी से जुड़ सकते हैं। ई-एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा, जहां इवेंट और कंपनी के नाम का चयन किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

- f) बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को गूगल क्रोम के साथ लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- g) इसके अतिरिक्त, सदस्यों को कैमरा लाने की अनुमति रहेगी, यदि कोई हो, इसलिए बैठक के दौरान किसी तरह की असुविधा से बचने के लिए अच्छी स्पीड के साथ इंटरनेट का उपयोग करें।
- h) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप जोड़कर जुड़ने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की गुणवत्ता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उपरोक्त किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
- i) हितधारक किसी भी प्रकार की सहायता के लिए evoting@kfintech.com पर आरटीए/तकनीकी सहायता केंद्र से पर संपर्क कर सकते हैं।

4. कार्यसूची मदों पर प्रश्न

बैठक के दौरान जो शेयरधारक अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने नाम फोलियो/डीमैट विवरण, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने लॉग-इन पेज <https://evoting.kfintech.com/>, पर दिए गए स्पीकर पंजीकरण विंडो में प्रस्तुत कर सकते हैं। "एजीएम प्रश्न" विंडो 25 जून, 2023 को सुबह 10 बजे से 26 जून, 2023 को शाम 5 बजे तक सक्रिय रहेगी।"

कृपया ध्यान दें कि, शेयरधारक द्वारा की गई पूछताछ / विचारों / प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दिया जाएगा, जब, शेयरधारक निर्धारित तिथि, अर्थात्, 21 जून, 2023 तक शेयरों का धारण जारी रखता है।

बैठक में जो शेयरधारक बोलना चाहते हैं, उन्हें कैमरे की अनुमति देनी होगी और बैठक के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए सुगम गति वाले इंटरनेट का उपयोग करना होगा। शेयरधारक "स्पीकर पंजीकरण" के तहत उसी विंडो में दिए गए

/ members login by using the remote e-voting credentials. The link for e-AGM will be available in shareholder/members login where the EVENT and the name of the company can be selected. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in the notice.

- f) Members are encouraged to join the meeting through laptops with Google Chrome for better experience.
- g) Further, Members will be required to allow camera, if any, and hence use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- h) Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- i) The stakeholders may contact RTA/Technical helpdesk at evoting@kfintech.com for any assistance.

4. QUERIES ON AGENDA ITEMS

The shareholders who would like to express their views/pose queries on agenda items may submit their questions in the speaker registration window provided to them at their login page <https://evoting.kfintech.com/>, by mentioning their name, folio/demat details, e-mail ID and mobile number. The "AGM Questions" window shall be activated from 10 A.M. IST on 25th June 2023 till 5 P.M. IST on 26th June 2023.

Please note that, shareholder's queries / views / questions will be responded to, only if, the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date, i.e., 21st June 2023.

Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload

विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को पूर्व रूप से रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागी या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से जुड़ने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की गुणवत्ता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उपरोक्त किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

वार्षिक सामान्य बैठक में बोलने और प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक, <https://evoting.kfintech.com/> में लॉग-इन कर डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, शहर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके "स्पीकर पंजीकरण" पर क्लिक करके अपना प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या प्रदर्शित होगी जिसे ई-एजीएम बैठक में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान पुनः प्रस्तुत करने के लिए परिरक्षित किया जा सकता है।

जो शेयरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल होने में सक्षम नहीं हैं, वे केफिनटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट देख सकते हैं।

5. प्रॉक्सी की नियुक्ति

प्रॉक्सी को, शेयरधारक जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं है, उनको सामान्य बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने की अनुमति दी जाती है। चूंकि, यह बैठक वीसी/एवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, जिसमें शेयरधारक की भौतिक उपस्थिति को बंद किया गया है, इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः, इस बैठक में शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

6. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या किसी अन्य कॉर्पोरेट निकाय जो कि बैंक का शेयरधारक है, उनके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जिस बैठक में उसे पारित किया गया था, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति प्रमाणित न किया गया हो, उसे बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले, अर्थात् शुक्रवार, 23 जून, 2023 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए।

their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration."

Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio / video loss due to fluctuation in their respective networks. It is therefore recommended to use stable wi-fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into <https://evoting.kfintech.com/> and click on "Speaker Registration" by mentioning the demat account number / folio number, city, e-mail ID, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the e-AGM meeting.

Shareholders who are not able to join this Meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of Kfintech at <https://evoting.kfintech.com/> using their remote e-voting credentials.

5. APPOINTMENT OF PROXY

A proxy is allowed to attend and vote at a general meeting on behalf of a shareholder who is not able to attend personally. Since this meeting is held through VC/AVM, where the physical attendance of the shareholder has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by shareholders would not be available for this meeting.

6. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to participate or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Friday, the 23rd June, 2023.

7. शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क

भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड

इकाई : केनरा बैंक

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32

गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकमगुडा

हैदराबाद – 500 032

इसके अलावा, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई-मेल आईडी को शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपरोक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित / पंजीकृत करें।

अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपरोक्त परिवर्तनों/ई-मेल आईडी से सूचित करें।

8. लाभांश का भुगतान /रिकॉर्ड तिथि

बैंक के निदेशक मंडल ने वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन वर्ष 2022-23 के लिए शेयरधारकों को प्रति इक्विटी शेयर ₹ 12 (अर्थात 120%) प्रत्येक 10/- रुपये अंकित मूल्य का लाभांश को देने सिफारिश की है। उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है, जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार यथा बुधवार, 14 जून, 2023 (इसके बाद रिकॉर्ड तारीख के रूप में संदर्भित) को शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं। लाभांश का भुगतान वार्षिक सामान्य बैठक (28 जून, 2023) में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर शेयरधारकों को किया जाएगा।

बैंक जहां भी संभव हो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी)/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस) सुविधा के माध्यम से शेयरधारकों के बैंक खातों में लाभांश राशि जमा करेगा। शेयरधारक, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार सहभागी को उनके पते के नवीनतम परिवर्तन और बैंक अधिदेश विवरण (नए खाता संख्या, यदि कोई हो, बैंक के एमआईसीआर और आईएफएससी कोड नंबर सहित) के बारे में सूचित करें ताकि एनईएफटी / एनईसीएस के माध्यम लाभांश राशियों को शीघ्र जमा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए केवल अपने निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं।

7. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

KFin Technologies Limited

Unit : Canara Bank

Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda

HYDERABAD - 500 032

Further, the shareholders are advised to inform/register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

8. PAYMENT OF DIVIDEND / RECORD DATE

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹ 12 per equity share (i.e. 120 %) of face value of ₹ 10/- each to the Shareholders for the year 2022-23, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on Wednesday, 14th June 2023 (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (28th June 2023).

The Bank will credit the dividend amounts to the bank accounts of the Shareholders through National Electronic Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The Shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their Depository Participants about their latest change of address and bank mandate details (including new account number, if any, bank's MICR and IFSC Code numbers) immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT / NECS. The Shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.

शेयरधारक जो भौतिक रूप में अपने शेयर धारण कर रहे हैं, वे इस नोटिस में दिए गए पते पर बैंक के सचिवीय विभाग या बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को अपने बैंक अधिदेश विवरण प्रस्तुत/अद्यतन करें।

9. लाभांश भुगतान पर कर

- आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों को प्राप्त लाभांश आय पर कर लागू है और बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों जानकारी हेतु आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक /आरटीए (भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में) और डिपोजिटरी (डीमैट रूप में शेयरों के मामले में) के साथ अपना पैन अद्यतित करें।
- वैध पैन रखने वाला एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक, जिसकी आय, आयकर भुगतान के दायरे में नहीं आती है, स्रोत पर कर की गैर-कटौती का लाभ उठाने के लिए फॉर्म संख्या 15जी/15एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। शेयरधारकों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है, तो 20% की उच्च दर से कर कटौती की जाएगी। अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके निवास देश के बीच कर संधि के तहत आवश्यक दस्तावेज अर्थात् कोई स्थायी स्थापना और लाभकारी स्वामित्व न होने की घोषणा टैक्स रेजीडेंसी सर्टिफिकेट, फॉर्म 10एफ, प्रासंगिक दस्तावेज/घोषणाएं जमा करके कर संधि लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने के अधीन लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, दस्तावेजों/फॉर्मों को या तो अपलोड करके या ई-मेल भेजकर या आरटीए की वेबसाइट (www.kfintech.com) पर उपलब्ध संबंधित दस्तावेजों /फॉर्मों कि हार्डकॉपी भेजकर प्रस्तुत किया जा सकता है।
- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त दस्तावेजों को बुधवार, 14 जून, 2023 तक आरटीए की वेबसाइट <https://ris.kfintech.com/form15> पर अपलोड कर दें या उन्हें einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल करें ताकि बैंक उचित टीडीएस/विदहोलिडिंग टैक्स दर पर कर का निर्धारण और कटौती कर सके।

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to the Secretarial Department of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in this Notice.

9. TAX ON DIVIDEND PAYMENT

- Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).
- A Resident individual shareholder with valid PAN and who is not liable to pay Income Tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G / 15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents, i.e., No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by submitting the relevant documents / declarations either by uploading the documents / forms or sending an e-mail or sending the hardcopy of relevant documents / forms which are available on the website of the RTA (www.kfintech.com).
- The shareholders are requested to upload the aforementioned documents latest by 5 PM (IST), Wednesday, 14th June, 2023 on the website of the RTA viz. <https://ris.kfintech.com/form15> or e-mail them at einward.ris@kfintech.com in order to enable the Bank to determine and deduct tax at appropriate TDS / withholding tax rate.

d) डाक / कूरियर या पंजीकृत ई-मेल आईडी से प्राप्त दस्तावेजों को ही स्वीकार किया जाएगा। संबंधित दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां (जहां शेयरधारक केवल हार्ड कॉपी भेज रहा है) हमारे आरटीए को पैरा 7 में उल्लिखित उनके पते पर भेजी जा सकती है। बुधवार, 14 जून, 2023 के बाद कर निर्धारण/ कटौती के संबंध में किए गए किसी भी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. अदावी लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं किया है/पिछली अवधि अर्थात 2016-17 और 2021-22 के लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे पुनर्मूल्यांकन डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने, बैंक खातों के ई अपग्रडेशन के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक से hosecretarial@canarabank.com पर संपर्क करके दावा करने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए बैंक ने अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट का विवरण अपनी वेब साइट www.canarabank.com पर पोस्ट किया है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, सात वर्षों की अवधि के लिए बकाया या दावा न किए गए लाभांश की राशि को केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी/125 के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करने की आवश्यकता है। इस वित्त वर्ष में आईईपीएफ को कोई अदावी/अवैतनिक लाभांश राशि अंतरित नहीं की जानी है।

11. वार्षिक रिपोर्ट

बैंक के शेयरधारक यह नोट करें कि एमसीए, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में, बैंक वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति शेयरधारकों को नहीं भेजेगा। वार्षिक रिपोर्ट की सम्पूर्ण प्रति बैंक की वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड की गई है। शेयरधारक वेबसाइट से इसके पठनीय संस्करण डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिस को बीएसई लिमिटेड, एनएसई लिमिटेड और ई-वोटिंग एजेंसी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com, www.nseindia.com और <https://evoting.kfintech.com> / पर भी देखा जा सकता है।

12. शेयरधारकों का मतदान अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास स्थित बैंक के सभी

d) Documents received by post / courier or from registered e-mail ID will only be accepted. The physical copies of the relevant documents (wherever shareholder is sending hard copy only) may be sent to our RTA at their address mentioned in para 7 above. No communication on the tax determination / deduction shall be entertained post Wednesday, 14th June, 2023.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, i.e., for the years 2016-17 and 2021-22, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants, updation of bank accounts for direct credit of dividends into accounts.

The bank has posted the details of the Unclaimed / Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013. There is no Unclaimed / Unpaid Dividend amount, due to be transferred to IEPF in this financial year.

11. ANNUAL REPORT

Shareholders of the Bank may please note that in compliance with the various Circulars issued by MCA, GOI and SEBI, the Bank will not be sending the physical copies of Annual Report to the Shareholders. The full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download the readable version of the same from the website. The notice can also be accessed from the websites of BSE Limited, NSE Limited & e-voting agency KFin Technologies Limited at www.bseindia.com, www.nseindia.com and <https://evoting.kfintech.com> / respectively.

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the bank,

शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

13. ई-वोटिंग: {सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार}

बैंक को इस बात की प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में उल्लिखित मदों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए केएफआईएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

शेयरधारकों/हिताधिकारी स्वामी के ई-वोटिंग अधिकार की गणना उनके द्वारा बुधवार, 21 जून, 2023 को निर्धारित तिथि (तिथियों) के रूप में धारित इक्विटी शेयरों पर की जाएगी। निर्धारित तिथि (तिथियों) के अनुसार भौतिक या अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक, नोटिस की कार्यसूची मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान डाल सकते हैं।

ई-मतदान के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

- ई-मतदान के लिए निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें: <https://evoting.kfintech.com>
- लॉगिन क्रेडेंशियल प्रविष्ट करें
आपका फोलियो नंबर / डीपी आईडी ग्राहक आईडी आपकी यूजर आईडी होगी। पासवर्ड आपके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा।
- उन व्यक्तियों के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल/वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कार्यविधि, जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है:

शेयरधारकों जिन्होंने अपना मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप उन्हें वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम और ई-वोटिंग नोटिस की सूचना नहीं भेजी जा सकी है। वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को उपलब्ध कराए गए अस्थायी रूप से अपना ई मेल पता तथा मोबाइल नंबर को लिंक : <https://ris.kfintech.com/client-services/mobilereg/mobilemailreg.aspx> पर क्लिक करते हुए प्राप्त कर सकते हैं ताकि उसे भेजी जा सके। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस और ई-वोटिंग निर्देशों की सॉफ्ट कॉपी भेजने के लिए ई-मेल पता और मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रकार के पूछताछ के मामले में, शेयरधारक einward.ris@kfintech.com को लिख सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, सदस्य ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति प्रदान करने वाले अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन की गई प्रति और इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ग्राहक मास्टर प्रति और वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग निर्देश भेजने के लिए भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाण पत्र की प्रति के साथ einward.ris@kfintech.com ई-मेल आईडी पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

13. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI(LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to the shareholders of the Bank through KFin Technologies Limited to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice.

The e-voting rights of the Shareholders / Beneficiary Owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Wednesday, 21st June 2023 being the Cut-off date(s). Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date(s), may cast their vote electronically on the agenda items of the Notice.

The instructions for e-voting are as under:

- To use the following URL for e-voting: <https://evoting.kfintech.com>
- Enter the login credentials
Your Folio No. / DP ID Client ID will be your user ID. The passwords would be sent to your registered e-mail ID.
- Procedure for obtaining login credentials / Annual Report for those whose e-mail addresses are not registered:**

Shareholders who have not registered their e-mail address and in consequence the Annual Report, Notice of e-AGM and e-voting notice could not be serviced, may temporarily get their e-mail addresses and mobile numbers provided with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, by clicking the link: <https://ris.kfintech.com/client-services/mobilereg/mobileemailreg.aspx> for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the e-mail address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholders may write to einward.ris@kfintech.com. Alternatively, members may send an e-mail request at the e-mail ID einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of e-AGM and the e-voting instructions.

- d. उचित रूप से विवरण दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करेंगे
- e. आपको पासवर्ड परिवर्तन मेनू में जाकर अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस (ए-जेड), एक लोअर केस (ए-जेड), एक संख्यात्मक वैल्यू (0-9) और एक विशेष अक्षर वाले न्यूनतम 8 अक्षर शामिल होंगे। सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने और पहले लॉगिन पर मोबाइल, ई-मेल आदि जैसे किसी भी संपर्क विवरण को अद्यतन करने के लिए निर्देश देगा। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपने पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद के गुप्त प्रश्न और उत्तर भी दर्ज कर सकते हैं। इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।
- f. आपको नए क्रेडेंशियल्स के साथ फिर से लॉगिन करना होगा।
- g. सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर, सिस्टम आपको ईवीईएनटी, यानी केनरा बैंक का चयन करने के लिए संकेत देगा।
- h. मतदान पृष्ठ पर, निर्धारित तिथि (21 जून, 2023) के अनुसार शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या दिखाई देगी। यदि आप उक्त कार्यसूची मदों के लिए संकल्पों में स्वीकृति/असहमति देने वाले सभी वोट डालना चाहते हैं तो सभी शेयरों को दर्ज करें और जैसा भी मामला हो, "FOR"/"AGAINST" पर क्लिक करें। आपको अपने सभी वोट एक ही तरीके से डालने की आवश्यकता नहीं है। आप आंशिक रूप से "FOR" और आंशिक रूप से "AGAINST" में किसी भी संख्या को दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि "FOR/AGAINST" में एक साथ ली गई कुल संख्या आपके कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप मतदान से परहेज करना चाहते हैं तो आप "ABSTAIN" का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप "FOR" या "AGAINST" का संकेत नहीं देते हैं, तो इसे "ABSTAIN" माना जाएगा और धारित शेयरों को किसी भी मद के तहत नहीं गिना जाएगा। संशोधित करने के लिए और रद्द की पुष्टि करने के लिए ठीक क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद अपने मत को संशोधित नहीं कर सकते हैं। मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक कई बार लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने इन प्रस्तावों पर मतदान नहीं किया है।
- i. ऐसे शेयरधारक जिनके पास बहुविध फोलियो / डीमैट खाते हैं, वे प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे। हालांकि, शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार, भारत सरकार के अलावा किसी भी शेयरधारक को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।
- d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- e. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, e-mail ID etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- f. You need to login again with the new credentials.
- g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT, i.e., Canara Bank.
- h. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the Cut-off Date (21st June, 2023) will appear. If you desire to cast all the votes assenting / dissenting to the Resolutions for the said Agenda Items, then enter all shares and click "FOR" / "AGAINST" as the case may be. You are not required to cast all your votes in the same manner. You may partially enter any number in "FOR" and partially in "AGAINST" but the total number in "FOR / AGAINST" taken together should not exceed your total shareholding as mentioned hereinabove. You may also choose the option "ABSTAIN" in case you wish to abstain from voting. If you do not indicate either "FOR" or "AGAINST" it will be treated as "ABSTAIN" and the shares held will not be counted under either head. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on these resolutions.
- i. Shareholders holding multiple folios / demat accounts shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.



j. संस्थागत शेयरधारक जो मतदान के लिए अधिकृत हैं, (अर्थात व्यक्तियों के अलावा, एचयूएफ, एनआरआई, आदि) संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र, आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) को विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल के माध्यम से जांचकर्ता को भेजना आवश्यक है।

k. एक बार जब आप किसी संकल्प पर अपना वोट डालते हैं तो आपको बाद में इसे संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

l. रिमोट ई-मतदान अवधि:

यह पोर्टल रविवार, 25 जून, 2023 को सुबह 09.00 बजे से मंगलवार, 27 जून, 2023 (दोनों दिन शामिल) को शाम 5.00 बजे तक मतदान के लिए खुला रहेगा और इसके बाद आरटीए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म को अक्षम कर देगा।

m. किसी भी प्रकार के पूछताछ के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता निर्देशिका का उल्लेख कर सकते हैं या केएफआईएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के श्री एस वी राजू / श्री शैबल हरिपद रॉय से 1-800-345-4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोट करें कि हमारे आरटीए, केफिन्टेक के पास भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए 'KPRISM' नामक एक मोबाइल ऐप और एक वेबसाइट <https://kprism.kfintech.com/> है। सदस्य प्ले स्टोर से इस एंड्रॉइड मोबाइल एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और केफिन्टेक द्वारा सेवित अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। इसके अलावा, सदस्य निवेशक सेवा केंद्र (आईएससी) वेबपेज, <https://ris.kfintech.com/client services/ISC/default.aspx> पर भी जा सकते हैं और उन सेवाओं की सूची जैसे पोस्ट या क्वेरी ट्रैक करना, कर छूट फॉर्म अपलोड करना, डीमैट / रिमैट अनुरोध देखना, लाभांश की स्थिति का पता करना और आवश्यक आईएसआर फॉर्म डाउनलोड करना और प्रसंस्करण निवेशक अनुरोधों के लिए सामान्य सरलीकृत मानदंड (सेबी परिपत्र दिनांक 03 नवंबर, 2021 और 16 मार्च, 2023) के अनुसार भौतिक फोलियो के लिए केवाईसी की स्थिति की पता करना आदि से लाभान्वित हो सकते हैं, जिन्हें पृष्ठ से निष्पादित किया जा सकता है।

n. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

o. ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और शेयर बाजार को भी सूचित किया जाएगा।

j. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG format) of the relevant Board Resolution / Authority Letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail scrutinizer@snaco.net.

k. Once you have cast your vote on a resolution, you will not be allowed to modify it subsequently.

l. Remote e-voting Period:

The Portal will remain open for voting from: 09.00 a.m. on Sunday, the 25th June, 2023 to 5.00 p.m. on Tuesday, the 27th June, 2023 (both days inclusive) and RTA will disable the e-voting platform thereafter.

m. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. S V Raju / Mr. Shaibal Haripada Roy of KFin Technologies Limited at 1-800-345-4001 (toll free).

Members are requested to note that our RTA, KFINTECH has a mobile app named 'KPRISM' and a website <https://kprism.kfintech.com/> for the members holding shares in physical form. Members can download this android mobile application from Playstore and view their portfolios serviced by KFINTECH. In addition, members can also visit the Investor Service Center (ISC) webpage, <https://ris.kfintech.com/client services/isc/default.aspx> and get benefited from the list of services that can be executed from the page like Post or Track a Query, Upload Tax Exemptions Forms, View the Demat / Remat Request, Check the Dividend Status and Download the required ISR forms and check KYC status for Physical Folios, as per the Common Simplified Norms for Processing Investor Requests (SEBI Circular dated 03 Nov 2021 and March 16 2023).

n. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

o. The results of e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

कृपया ध्यान दें कि ई-वोटिंग के तहत अपना मत डालने के बाद, आप वार्षिक सामान्य बैठक में अपने मत को संशोधित या पुनः मतदान नहीं कर सकते हैं। हालांकि, आप बैठक में भाग ले सकते हैं और चर्चा, यदि कोई हो, में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

निक्षेपागार के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर 2020 के संदर्भ में, डीमैट के रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागी के साथ अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अद्यतन करें।

निक्षेपागार के साथ डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया:

Kindly note that once you have cast your vote under e-voting, you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

The instructions for remote e-voting through Depositories are as under:

In terms of SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants.

Shareholders are advised to update their mobile number and email ID in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Procedure for remote e-voting by Individual Shareholders holding securities in Demat mode with Depositories:

एनएसडीएल	सीडीएसएल
1. आईडीईएस (IDeAS) सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता: - यूआरएल: https://eservices.nsdl.com 'IDeAS' भाग के तहत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें। - नए पेज पर, यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, "Access to e-Voting" पर क्लिक करें - रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने के लिए कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।	1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईएसआई/ईएसआई ईएसटी (EASI / EASIEST) का विकल्प चुना - यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasinew/home/login or www.cdslindia.com - नए सिस्टम Myeasi पर क्लिक करें - यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। - बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-मतदान पृष्ठ तक पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। - अपना मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।
2. आईडीईएस (IDeAS) ई-सेवाओं के लिए गैर-पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए - रजिस्टर करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com "Register Online for IDeAS" का चयन करें। - आवश्यक क्षेत्रों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। वैकल्पिक रूप से, - पंजीकरण करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp - आवश्यक क्षेत्रों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।	2. ईएसआई/ईएसआई ईएसटी (EASI/EASIEst) के लिए गैर-पंजीकृत उपयोगकर्ता - पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasinew/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। - आवश्यक क्षेत्रों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।
3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर - यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ - शेयरधारक/सदस्य' भाग के तहत उपलब्ध 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें। - यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल में दर्ज 16 अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड दर्ज करें। - सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा जिसमें आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। - रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।	3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर - यूआरएल www.cdslindia.com - डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करें - सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। - सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-मतदान चल रहा होगा।

NSDL	CDSL
1. User already registered for IDeAS facility: - URL: https://eservices.nsdl.com - Click on the “Beneficial Owner” icon under ‘IDeAS’ section. - On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on “Access to e-voting” - Click on company name or e-voting service provider and you will be re-directed to e-voting service provider website for casting the vote during the remote e-voting period.	1. Existing users who have opted for Easi / Easiest - URL: https://web.cdslindia.com/myeasinew/home/login or www.cdslindia.com - Click on New System Myeasi - Login with User ID and Password. - Option will be made available to reach e-voting page without any further authentication. - Click on e-voting service provider name to cast your vote.
2. User not registered for IDeAS e-Services - To register click on link: https://eservices.nsdl.com - Select “Register Online for IDeAS” - Proceed with completing the required fields. Alternatively, - To register click on link: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp - Proceed with completing the required fields.	2. User not registered for Easi/Easiest - Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasinew/Registration/EasiRegistration - Proceed with completing the required fields.
3. By visiting the e-voting website of NSDL - URL: https://www.evoting.nsdl.com/ - Click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/ Member’ section. - Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password / OTP and a Verification Code as shown on the screen. - Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-voting page. - Click on company name or e-voting service provider name and you will be redirected to e-voting service provider website for casting your vote during the remote e-voting period.	3. By visiting the e-voting website of CDSL - URL: www.cdslindia.com - Provide demat Account Number and PAN No. - System will authenticate user by sending OTP on registered mobile & e-mail ID as recorded in the Demat account. - After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e-voting is in progress

महत्वपूर्ण सूचना: जो सदस्य प्रयोक्ता आईडी/पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध ‘Forget User ID’ और ‘Forget Password’ विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क इस प्रकार है:

Important Note: Members who are unable to retrieve User ID / Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at the above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL.

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करनेवाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या वे दूरभाष संख्या 022 - 23058738 और 022-23058542 43 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना पर सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर : 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542-43
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते की लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन होने के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

14. बैठक के दौरान ई-मतदान प्रणाली

केवल वे शेयरधारक जो ई-एजीएम में मौजूद हैं और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने की अनुमति होगी। ई-मतदान प्रणाली में उल्लिखित निर्देशों का पालन कर वीसी/एवीएम में लॉगइन करने के पश्चात शेयरधारक बैठक के दौरान उपलब्ध <https://emeetings.kfintech.com/> लिंक पर क्लिक करके मतदान कर सकते हैं।

15. मतदान / पोल में संवीक्षक

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव बैठक की सभी कार्यसूची मदों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

The instructions for remote e-voting through Depository Participants are as under:

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL / CDSL for e-voting facility. After successful login, you will be able to see e-voting option. Once you click on e-voting option, you will be redirected to NSDL / CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-voting service provider name and you will be redirected to e-voting service provider website for casting your vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

14. E-VOTING SYSTEM DURING THE MEETING

Only those Shareholders who are present in the e-AGM and have not cast their vote through remote e-voting shall be allowed to vote through e-voting system. The Shareholders may vote during the course of the meeting by clicking the link <https://emeetings.kfintech.com/> available after logging in to VC/AVM by following the instructions mentioned therein.

15. SCRUTINIZERS AT VOTING / POLL

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote e-voting and e-voting in respect of all the agenda items of the meeting.

16. रिमोट ई-वोटिंग और मतदान के परिणाम

ई-एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग के समेकित परिणामों की घोषणा दो कार्य दिवसों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी और इसे बैंक, शेयर बाजार और केएफआईएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट पर भी होस्ट किया जाएगा।

वर्णात्मक विवरणी मद सं. 3

सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 23(1) के नियम के साथ पठित विनियम 2(1)(जेडसी) में संशोधन के अनुसरण में, 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी, सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के अंतरण से जुड़े लेनदेन और दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबंधित पक्ष को संबंधित पार्टी का लेनदेन माना जाता है। इसके अलावा, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 23(4) के संदर्भानुसार, सभी सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि यह निष्पक्षता के आधार और कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप हैं।

सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार यदि किसी वित्त वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले लेनदेन या पिछले लेनदेन के साथ एक साथ लिया जाने वाला लेनदेन रुपये 1000 करोड़ या सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 10% से अधिक है, जो भी कम हो, तो ऐसे संबंधित पार्टी लेनदेन को 'महत्वपूर्ण' रूप में माना जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है:

विवरण	लेनदेन का विवरण
किसी भी 'ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, जमा पर ब्याज, पूंजी प्रवाह, बैंक शुल्क, अग्रिम या निवेश' से संबंधित लेन-देन 'बैंक या उसकी सहायक' द्वारा किए गए या कैनफिन होम्स लिमिटेड द्वारा दर्ज किए गए	रुपये 4000 करोड़ तक के प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य

एक तरफ बैंक और दूसरी तरफ उपरोक्त प्रत्येक संबंधित पक्ष के बीच प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य रुपये 1000 करोड़ से अधिक है [अर्थात सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत 'महत्वपूर्ण' संबंधी पार्टी लेनदेन की सीमा

16. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND POLL

The consolidated results of remote e-Voting and voting at the e-AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the website of the Bank, Stock Exchanges and KFin Technologies Limited.

EXPLANATORY STATEMENT ITEM No. 3

Pursuant to amendment in Regulation 2(1)(zc) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand are considered as related party transactions. Further, in terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business.

A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions
Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, interest on deposits, capital infusion, bank charges, advances or investments made or given by the bank or its subsidiary entered into / by Canfin Homes Ltd.	Value of the proposed transaction of up to ₹4000 Crore.

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party



से ऊपर यानी रुपये 1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10% से भी कम हो। लेन-देन संबंधित पक्षों के साथ निष्पक्षता और बैंक के कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में निष्पादित किया जाएगा।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में उनकी शेरधारिता / निदेशकों की सीमा के अलावा, यदि कोई हो, और ऊपर उल्लिखित संस्थाओं में से कोई भी, यदि कोई हो, उपरोक्त संकल्प से संबंधित / रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उक्त महत्वपूर्ण संबंधी पार्टी लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि मद संख्या 4 पर रखे गए प्रस्तावित महत्वपूर्ण संबंधी पार्टी लेनदेन को शेरधारकों के समक्ष सामान्य संकल्प के रूप में सहायक महाप्रबंधक के अनुमोदन के लिए रखा जाए।

शेरधारक कृपया यह ध्यान में रखें कि, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष नोटिस के मद संख्या 4 पर सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेगी।

मद संख्या 4

विनियम 17 (1सी) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में [या प्रबंधक के रूप में] किसी व्यक्ति की नियुक्ति [या पुनर्नियुक्ति] के लिए शेरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो तक हो जाए। बशर्ते कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अगली आम बैठक में निदेशक मंडल या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेरधारकों की स्वीकृति ली जाए।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के परिच्छेद 5 (1) और 9 (2) (बी) के साथ पठित श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन को अधिसूचना की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए, यानी 21 मार्च, 2022 से 20 मार्च, 2025 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual consolidated turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding / directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned / interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 4, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 4 of the Notice.

ITEM No. 4

Pursuant to Regulation 17(1C) the listed entity shall ensure that approval of shareholders for appointment [or re-appointment] of a person on the Board of Directors [or as a manager] is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.

In exercise of powers under clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 by the Central Government, Shri. Dibakar Prasad Harichandan has been appointed as Part-time Non-Official Director on the Board of the bank, for a term of three years, from the date of notification, i.e., from March 21, 2022 to March 20, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन की संक्षिप्त परिचय 'सेबी के विनियम 36 (3) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के संदर्भ में सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पठित में इसके बाद व्याख्यात्मक कथन के रूप में दी गई है।

श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन, आयु 51 वर्ष, एमकॉम, एफसीए, एलएलबी हैं, वे एक पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के फेलो सदस्य भी हैं। उन्हें लेखा-परीक्षा, लेखांकन, बैंकिंग व वित्त, विधि, अर्थशास्त्र और लघु उद्योग में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्हें जीएएपी, आईएफआरएस, आईएनडी एस में ज्ञान होने के साथ लेखांकन और वित्त संचालन के क्षेत्र में भी समृद्ध अनुभव है।

श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन ने 21 मार्च, 2022 को केनरा बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

बैंक में उनकी शोयरधारिता/निर्देशन की सीमा को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार उपरोक्त संकल्प से संबंधित/हितबद्ध नहीं हैं और एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

मद संख्या 5

विनियम 17(1C) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में [या प्रबंधक के रूप में] किसी व्यक्ति की नियुक्ति [या पुनर्नियुक्ति] के लिए शोयरधारकों की स्वीकृति अगली सामान्य बैठक में या नियुक्ति की तिथि से तीन माह की समयावधि के भीतर कर की जाए। बशर्ते कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अगली सामान्य बैठक में निदेशक मंडल या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शोयरधारकों की स्वीकृति ली जाए।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के परिच्छेद 5 (1) और 9 (2) (बी) के साथ पठित श्री विजय श्रीरंगन को अधिसूचना की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए, यानी 7 नवंबर 2022 से 6 नवंबर 2025 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

Brief profile of Shri Dibakar Prasad Harichandan in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Shri Dibakar Prasad Harichandan, aged 51 years, MCom, FCA, LLB, is a practicing chartered accountant and also a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). He has more than 25 years of experience in Auditing, Accounting, Banking & Finance, Law, Economics and Small Scale Industries. He has rich experience in the gamut of accounting and finance operations with knowledge in GAAP, IFRS, IND AS.

Shri Dibakar Prasad Harichandan has taken charge as Part-Time Non-Official Director of Canara Bank on 21st March, 2022.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding / directorships, if any, in the bank are concerned / interested in the above resolution and are not related to each other.

ITEM No. 5

Pursuant to Regulation 17(1C) the listed entity shall ensure that approval of shareholders for appointment [or re-appointment] of a person on the Board of Directors [or as a manager] is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.

In exercise of powers under clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 by the Central Government, Shri. Vijay Srirangan has been appointed as Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman on the Board of the bank, for a term of three years, from the date of notification, i.e., from November 7, 2022 to November 6, 2025, or until further orders, whichever is earlier.



सेबी (सूचीकरण देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के संदर्भ में श्री विजय श्रीरंगन की संक्षिप्त प्रोफाइल, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पठित इस व्याख्यात्मक वक्तव्य में आगे दी गई है।

श्री विजय श्रीरंगन पीजीडीबीएम (आईआईएम अहमदाबाद) और बीटेक (आईआईटी दिल्ली) दोनों में स्वर्ण पदक विजेता हैं।

वे बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में महानिदेशक और सलाहकार थे।

इससे पहले उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), टाटा इंफोटेक, टाटा यूनिसिस और टाटा बरोज़ में केंद्रित टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (टीएसएस) के हिस्से के रूप में टाटा समूह के साथ 36 वर्ष बिताए।

अपने करियर के दौरान, उनके पास अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षण, एप्लाइड टेक्नोलॉजी रिसर्च, इंटरनेशनल सेल्स, टर्नकी एंगेजमेंट्स के साथ-साथ सिस्टम्स इंटीग्रेशन सहित कई तरह की जिम्मेदारियां थीं। वे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में टाटा अकाउंट्स से जुड़े थे।

वर्तमान में, वह कॉर्नरस्टोन वेंचर पार्टनर्स (एक उद्यम सास वेंचर कैपिटल फर्म) के सामान्य भागीदार हैं।

श्री विजय श्रीरंगन को 07.11.2022 को हमारे बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक में उनकी शोयरधारिता/निर्देशन की सीमा को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार उपरोक्त संकल्प में संबंधित/हितबद्ध नहीं हैं और एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

मद सं. 6

विनियम 17(1C) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में [या प्रबंधक के रूप में] किसी व्यक्ति की नियुक्ति [या पुनर्नियुक्ति] के लिए शोयरधारकों की स्वीकृति अगली सामान्य बैठक में या नियुक्ति की तिथि से तीन माह की समयावधि के भीतर ली जाए। बशर्ते कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अगली सामान्य बैठक में निदेशक मंडल या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शोयरधारकों की स्वीकृति ली जाए।

केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के

Brief profile of Shri Vijay Srirangan in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Shri Vijay Srirangan is a Gold Medalist, both in PGDBM (IIM Ahmedabad) and B.Tech (IIT Delhi).

He was the Director General and Mentor at Bombay Chamber of Commerce & Industry.

Earlier he had served as Vice President, Tata Consultancy Services (TCS) and spent 36 years with the Tata Group as a part of the Tata Administrative Services (TAS) focused in Tata Consultancy Services (TCS), Tata Infotech, Tata Unisys & Tata Burroughs.

During his career, he had a wide spectrum of responsibilities, including, inter alia, Training, Applied Technology Research, International Sales, Turnkey Engagements as well as Systems Integration. He was associated with Tata Accounts at Tata Consultancy Services (TCS).

Presently, he is General Partner, Cornerstone Venture Partners (an enterprise SaaS Venture Capital Firm).

Shri Vijay Srirangan is appointed as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of our Bank on 07.11.2022.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding / directorships, if any, in the bank are concerned/interested in the above resolution and are not related to each other.

ITEM No. 6

Pursuant to Regulation 17(1C) the listed entity shall ensure that approval of shareholders for appointment [or re-appointment] of a person on the Board of Directors [or as a manager] is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies

प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अशोक चंद्र को पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि यानी 21 नवंबर 2022 से 20 नवंबर 2025 तक या अगले आदेश तक के लिए बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (सूचीकरण देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के संदर्भ में श्री अशोक चंद्र की संक्षिप्त प्रोफाइल, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ इस व्याख्यात्मक वक्तव्य में आगे दी गई है।

श्री अशोक चंद्र ने सितंबर 1991 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक के साथ अपना बैंकिंग कैरियर शुरू किया। पटना में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है और वे भारतीय बैंकों के प्रमाणित सहयोगी भी हैं।

श्री अशोक चंद्र का ग्रामीण, शहरी और मेट्रो जैसे विभिन्न जनसांख्यिकी के शाखा प्रमुख के रूप में शाखा संचालन से लेकर देश भर में बैंक के अंचल/क्षेत्रों का नेतृत्व करने जैसी बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने का व्यापक अनुभव है।

जब वे दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय में तैनात थे, तब उन्होंने 4 वीएलबी को बहुत सफलतापूर्वक संभाला था और विदेशी परिचालनों में भी उनका अनुभव था। उन्हें आगे बैंक, वाराणसी और दिल्ली के दो प्रमुख क्षेत्रों (जहाँ उन्होंने आवश्यक परिणाम सफलतापूर्वक दिए) का नेतृत्व करने की चुनौती दी गई और उनका कार्यकाल भी सफल रहा।

2018 में महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति पर, उन्हें बैंक के वसूली, कानूनी और तनावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन वर्टिकल (एसएएमवी) का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति के बाद भी वहां काम करना जारी रखा।

उन्हें बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किए गए नेतृत्व कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए चुना गया था। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने स्टार परफॉर्मर्स क्लब, ग्राहक सेवा अवार्ड, ग्राहक मित्र अवार्ड, हेल्दी ब्रांच अवार्ड, चेयरमैन क्लब मेंबरशिप, बेस्ट ब्रांच अवार्ड, रियायती लीडरशिप अवार्ड, मेगा ई-नीलामी अवार्ड, लीडरशिप अवार्ड, चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड आदि जैसे महान ख्याति और सम्मान हासिल किए हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षणों और कार्यशालाओं में भाग लिया है।

(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, Shri. Ashok Chandra has been appointed as Executive Director on the Board of the bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, i.e., from November 21, 2022 to November 20, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri Ashok Chandra in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Shri Ashok Chandra started his banking career with erstwhile Corporation Bank in September 1991 as Probationary Officer. Having schooled and completed his education in Patna, he holds a Master's in Economics and he is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers.

Shri Ashok Chandra has a wide exposure in the banking domain ranging from Branch Operations as a Branch Head of various demographics such as rural, urban and metro and handling greater responsibilities such as heading zones / regions of the bank across the country.

He had very successfully handled four VLBs and also has exposure in Overseas Operations when he was posted at Representative Office of the bank at Dubai, UAE. He was further given the challenges of heading two major zones of the bank, Varanasi and Delhi, (where he successfully delivered the required results) and had a successful stint.

On his elevation to General Manager in 2018, he was assigned to lead the Recovery, Legal and Stressed Asset Management Vertical (SAMV) of the bank. He continued to work there on his elevation to Chief General Manager in Union Bank of India in 2020.

He was chosen to be a part of the leadership program designed by the Banks Board Bureau. Throughout his career, he has achieved great laurels and accolades such as Star Performers Club, Grahak Seva Award, Grahak Mitra Award, Healthy Branch Award, Chairman's Club Membership, Best Branch Award, Riyayati Leadership Award, Mega E-auctioneer Award, Leadership Award, Champion of Champions Award etc. He has attended various trainings and workshops in India and abroad.

2021 में, उन्हें यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक और एनएआरसीएल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वह लुआँआ द्वारा गठित "तनावग्रस्त संपत्तियों पर स्थायी समिति" के सदस्य भी हैं।

उन्होंने 21 नवंबर 2022 को केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

बैंक में उनकी 'शेयरधारिता/निर्देशन' की सीमा को छोड़कर कोई भी 'निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार' उपरोक्त संकल्प में 'संबंधित/हितबद्ध' नहीं हैं और एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

मद संख्या 7

विनियम 17(1C) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में [या प्रबंधक के रूप में] किसी व्यक्ति की नियुक्ति [या पुनर्नियुक्ति] के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली सामान्य बैठक में विनियम 17(1इ) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में [या प्रबंधक के रूप में] किसी व्यक्ति की नियुक्ति [या पुनर्नियुक्ति] के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली सामान्य बैठक में या नियुक्ति की तिथि से तीन माह की समयावधि के भीतर ली जाए। बशर्ते कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अगली सामान्य बैठक में निदेशक मंडल या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति ली जाए।

केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री के. सत्यनारायण राजु को बैंक के बोर्ड में, पदभार ग्रहण करने की तिथि से, अर्थात् 7 फरवरी, 2023 से और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि तक (अर्थात्, 31.12.2025), या अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (सूचीकरण देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के संदर्भ में श्री के. सत्यनारायण राज की संक्षिप्त प्रोफाइल, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ इस व्याख्यात्मक वक्तव्य में आगे दी गई है।

श्री के. सत्यनारायण राजु ने भौतिकी में स्नातक और कारोबार प्रशासन में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की है तथा उन्हें सीएआईआईबी योग्यता भी प्राप्त है।

वे 1988 में पूर्ववर्ती विजया बैंक में शामिल हुए और बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य महाप्रबंधक के स्तर तक पहुंचे। पूर्व विजया बैंक (बैंक ऑफ

In 2021, he was appointed as Director in Union Trustee Company Private Limited and also Director in NARCL. He is also a member of "Standing Committee on Stressed Assets" formed by IBA.

He has taken charge as Executive Director of Canara Bank on 21st November 2022.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding / directorships, if any, in the Bank are concerned/interested in the above resolution and are not related to each other.

ITEM No. 7

Pursuant to Regulation 17(1C) the listed entity shall ensure that approval of shareholders for appointment [or re-appointment] of a person on the Board of Directors [or as a manager] is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, Shri. K Satyanarayana Raju has been appointed as Managing Director and Chief Executive Officer on the Board of the bank, with effect from the date of assumption of office, i.e., from February 7, 2023 and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e., 31.12.2025), or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri K Satyanarayana Raju in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Shri K. Satyanarayana Raju is a Physics graduate, post graduate in Business Administration (Banking and Finance) and CAIIB.

He joined erstwhile Vijaya Bank in 1988 and has risen to the level of Chief General Manager in Bank of Baroda.

बड़ौदा) में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विशेष कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखा सहित विभिन्न शाखाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में कार्य किया है और समामेलित बैंक ऑफ बड़ौदा के मुंबई क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने प्रधान कार्यालय में संचालन और सेवा विभाग का नेतृत्व भी किया है। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड में निदेशक के रूप में काम किया है। वे बीओबी-आईआईटी बॉम्बे इनोवेशन सेंटर की संचालन समिति के सदस्य भी थे।

श्री के. सत्यनारायण राजु ने 10 मार्च 2021 को केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला और सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल बैंकिंग, व्यवसाय विश्लेषण और सूचना प्रणाली, निरीक्षण, अनुपालन, प्राथमिकता साख, वित्तीय समावेशन, स्वर्ण ऋण, एमएसएमई, खुदरा संपत्ति, कॉर्पोरेट ऋण, सामान्य प्रशासन, विपणन और जनसंपर्क, आदि सहित केनरा बैंक में विभिन्न कार्यक्षेत्रों की देखरेख की। वे केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और केनरा कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में भी निदेशक हैं।

उनके पास शाखा बैंकिंग, कॉर्पोरेट ऋण, खुदरा ऋण, एमएसएमई, कृषि वित्तपोषण, ऋण निगरानी, वसूली, निरीक्षण, अनुपालन, लेखापरीक्षा, सामान्य प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल बैंकिंग आदि सहित बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव है।

श्री के. सत्यनारायण राजु ने 07.02.2023 को केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बैंक में उनकी 'शेयरधारिता/निर्देशन' की सीमा को छोड़कर कोई भी 'निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार' उपरोक्त संकल्प में 'संबंधित/हितबद्ध' नहीं हैं और एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

मद संख्या 8

विनियम 17(1C) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में [या प्रबंधक के रूप में] किसी व्यक्ति की नियुक्ति [या पुनर्नियुक्ति] के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली सामान्य बैठक में या नियुक्ति की तिथि से तीन माह की समयावधि के भीतर, जो भी पहले हो ली जाए। बशर्ते कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अगली सामान्य बैठक में निदेशक मंडल या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति ली जाए।

During his tenure at erstwhile Vijaya Bank (Bank of Baroda), he has headed various branches including specialized corporate banking branch. He has served as Regional Head of various regions and also served as Zonal Head of Mumbai zone of the amalgamated Bank of Baroda. He has also headed operations and services department at Head Office. He has served as a Director in BoB Financial Solutions Limited, subsidiary of Bank of Baroda. He was also a member of the steering committee of BOB-IIT Bombay Innovation Centre.

Shri K. Satyanarayana Raju took charge as Executive Director of Canara Bank on 10th March 2021 and has overseen various verticals in Canara Bank including information technology & digital banking, business analytics & information system, inspection, compliance, priority credit, financial inclusion, gold loan, MSME, retail asset, corporate credit, general administration, marketing & public relations, etc. He is also a director on the Board of Canara HSBC Life Insurance Company Limited and Canara Computer Services Limited.

He has rich experience in all segments of banking, including branch banking, corporate credit, retail credit, MSME, agri financing, credit monitoring, recovery, inspection, compliance, audit, general administration, information technology & digital banking, etc.

Shri K. Satyanarayana Raju has taken charge as Managing Director & CEO of Canara Bank on 07.02.2023.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding / directorships, if any, in the bank are concerned / interested in the above resolution and are not related to each other.

ITEM No. 8

Pursuant to Regulation 17(1C) the listed entity shall ensure that approval of shareholders for appointment [or re-appointment] of a person on the Board of Directors [or as a manager] is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.



केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया को बैंक के बोर्ड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात् 7 फरवरी, 2023 से 6 फरवरी, 2026 तक, या अगले आदेश तक कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (सूचीकरण देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के संदर्भ में श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया की संक्षिप्त प्रोफाइल, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ इस व्याख्यात्मक वक्तव्य में आगे दी गई है।

श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया ने 30.03.1992 को इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) में कृषि क्षेत्र अधिकारी के रूप में अपना बैंकिंग कैरियर शुरू किया। उन्होंने कृषि विज्ञान में स्नातक प्राप्त किया है और भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित सहयोगी हैं। उन्होंने एनआईबीएम पुणे से क्रेडिट प्रबंधन में प्रमाणन प्राप्त किया है और वित्तीय प्रबंधन में कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा भी हासिल किया है।

उनके पास भारत में बैंकिंग प्रणाली (ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी/मेट्रो भौगोलिक) के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में और विदेशों में विशेष रूप से लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इंटरनेशनल ब्रांच के प्रमुख, जोनल हेड, चंडीगढ़ और एफजीएम / सीजीएम कोलकाता और प्रशासनिक कार्यालयों में विभिन्न अन्य वर्टिकल के रूप में रणनीतिक पदों पर तीन दशकों से अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है। उन्होंने भारतीय बैंक सांस्कृतिक और क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी क्रीड़ा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है।

उत्पादक टीम बनाने और असाधारण परिणाम देने की उनकी सिद्ध क्षमता उनके सभी कार्यों में परिलक्षित होती थी। एक उत्सुक शिक्षार्थी के रूप में उन्होंने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया और आईबीए के परामर्श से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा क्यूरेट किए गए आईआईएम, बेंगलूरु के नेतृत्व विकास कार्यक्रम को पूरा किया।

केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नति से पहले, वे इंडियन बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में वसूली विभाग के महाप्रबंधक थे।

उन्होंने 07.02.2023 को केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, Shri. Hardeep Singh Ahluwalia has been appointed as Executive Director on the Board of the Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, i.e., from February 7, 2023 to February 6, 2026, or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri Hardeep Singh Ahluwalia in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Shri Hardeep Singh Ahluwalia, started his banking career as Agricultural Field Officer on 30.03.1992 at Allahabad Bank (now Indian Bank). He is a graduate in Agriculture and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He has Certification in Credit Management from NIBM Pune & Diploma in Computer Applications in Financial Management.

He has rich banking experience for more than three decades in various functional areas of Banking system (Rural / Semi-Urban / Urban / Metro geographies) in India and abroad (HK) more particularly in strategic positions as Lead District Manager, Head of the International Branch, Zonal Head, Chandigarh & FGM/CGM Kolkata and various other verticals at administrative offices. He has also contributed immensely to the Sports Field as the President of Indian Bank Cultural & Sports Committee.

His proven ability to build productive teams and deliver exceptional results was reflected in all his assignments. As an avid learner, he has attended various training programmes and completed Leadership Development Programme of IIM, Bangalore, curated by Banks Board Bureau in consultation with IBA.

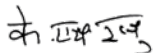
Before his elevation as Executive Director of Canara Bank, he was General Manager of the Recovery Department at Corporate office of Indian Bank.

He has taken charge as Executive Director of Canara Bank on 07.02.2023.

बैंक में उनकी शोयरधारिता/निर्देशन की सीमा को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार' उपरोक्त संकल्प में संबंधित/हितबद्ध नहीं हैं और एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding / directorships, if any, in the Bank are concerned/interested in the above resolution and are not related to each other.

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा



के. सत्यनारायण राजु

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2023

By Order of the Board of Directors



K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2023